न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 51 / 2020

आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लिमिटेड
शाखाः आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि0,
कचहरी रोड, अजमेर–305001(राज0)

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री पराग कुमार गर्ग पुत्र श्री प्रेम कुमार गर्ग (ऋणी),
पताः–10 / 57 सिविल लाइंस, अजमेर–305001 (राजस्थान)
(2) श्रीमती वीना गर्ग पत्नी स्व0 प्रेम नारायण गर्ग विधिक उतराधिकारी (जमानती)
पताः–10 / 57 सिविल लाइंस, अजमेर–305001 (राजस्थान)
(3) श्री रवि गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल (जमानती)
पताः– ओमनी हाउस, कार्ट के सामने, जयपुर रोड, अजमेर–305001(राजस्थान)
(4) श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री बिरदी सिंह शेखावत (रहनकर्ता एवं जमानती)
पताः– बी 2 मधु बन कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर–305001 (राजस्थान)
(5) मै० छोगालाल मोतीलाल (रहनकर्ता एवं जमानती)
हिस्सेदारी 1. श्रीमती वीना गर्ग पत्नी स्व0 प्रेम नारायण गर्ग विधिक उतराधिकारी
2. श्री पराग कुमार गर्ग पुत्र श्री प्रेम कुमार गर्ग
पताः– नया बाजार, अजमेर 305001 (राजस्थान)

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अजय टांक प्राधिकृत अधिकारी

आदेश दिनांक 25.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 23.08.2016 को रू. 35,00,000 / – (अक्षरे पैंतीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर नाका मदार, शॉपिंग सेंटर, अजमेर (राजस्थान) स्थित एक दुकान "ए" 13 क्षैत्रफल 16.66 वर्ग गज, जिसका उप पंजीयक अजमेर द्वारा पुस्तक सं0 01, जिल्द सं0 7395, पेज सं0 199 कम सं0 1399 अतिरिक्त पुस्तक सं0 1, जिल्द सं0 2584, पेज सं0 232 से 235 दिनांक 30.03.2000 को पंजीयन किया गया। यह संम्पत्ति श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री बिरदी सिंह शेखावत द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गई, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः– उत्तर मेंः–दुकान नं0 12, दक्षिण मेंः–दुकान नं0 14, पूर्व मेंः–पार्किंग और 30 फीट वाइड रोड, पश्चिमः–दुकान नं0 42, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.09.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

ऋणी को दिनांक 06.11.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–26,01,716/–(अक्षरे छब्बीस लाख एक हजार सात सौ सोलह मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया। प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्राथीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति नाका मदार, शॉपिंग सेंटर, अजमेर (राजस्थान) स्थित एक दुकान "ए" 13 क्षैत्रफल 16.66 वर्ग गज, जिसका उप पंजीयक अजमेर द्वारा पुस्तक सं0 01, जिल्द सं0 7395, पेज सं0 199 कम सं0 1399 अतिरिक्त पुस्तक सं0 1, जिल्द सं0 2584, पेज सं0 232 से 235 दिनांक 30.03.2000 को पंजीयन किया गया। यह संम्पत्ति श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री बिरदी सिंह शेखावत द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गई, इसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः– उत्तर मेंः–दुकान नं0 12, दक्षिण मेंः–दुकान नं0 14, पूर्व मेंः–पार्किंग और 30 फीट वाइड रोड, पश्चिमः–दुकान नं0 42, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner